रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2011/चैत्र 4, 1933
No. 522] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2011/CHAITRA 4, 1933

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2011

का.आ. 637(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना लिंडेन पर पाबंदी प्रारूप आदेश संख्यांक का.आ. 2088(अ) तारीख 26 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिससे ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 सितम्बर, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लिंडेन पर पाबंदी आदेश, 2011 है ।

(2) ये आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कोई व्यक्ति लिंडेन का विनिर्माण, आयात और सूत्रण राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से नहीं करेगा ।

3. दो वर्ष की अवधि के पश्चात् कोई व्यक्ति राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से लिंडेन का उपयोग नहीं करेगा ।

4. उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन लिंडेन के लिए प्रदान किये गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों को रद्द समझा जाएगा ।

5. उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी, जो वह राज्य में इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ।

[फा. सं. 19-5/2008-पीपी. I(वीओएल)]

पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2011

S.O. 637(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) published a draft Order for Banning of Lindane *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), number S.O. 2088(E), dated the 26th August, 2010, and invited objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the draft order were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th day of September, 2010;

And whereas, the objections received in respect of the said draft Order were duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Banning of Lindane Order, 2011.

(2) It shall come into force on the date of publication of this Order in the Official Gazette.

2. No person shall manufacture, import or formulate Lindane from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. No person shall use Lindane after the period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

4. The certificates of registration for Lindane granted under the Section 9 of the said Act shall be deemed to have been cancelled.

5. Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules framed thereunder, as it considers necessary for the execution of this order in the State.

[F. No. 19-5/2008-PP. I (Vol. II)]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.